

सेवा में,

**प्रभारी सचिव  
विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर।**

**विषय:-**

प्रस्तावित शैक्षिक भवन श्री विश्व रतन, मैनेजिंग ट्रस्टी, रतन लाल शारदादेवी फाउण्डेशन ट्रस्ट, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर संशोधित मानचित्र संख्या- 326/2011 जिसका कुल प्लॉट एरिया 3967.24 वर्गमीटर, ग्राउण्ड फ्लोर ओपन एरिया 3072.52 वर्गमीटर, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर कवर्ड एरिया 1040.60 वर्गमीटर, ग्राउण्ड फ्लोर कवर्ड एरिया 920.72 वर्गमीटर, सेकेण्ड फ्लोर कवर्ड एरिया 920.72 वर्गमीटर, मस्टी कवर्ड एरिया 139.99 वर्गमीटर, कुल कवर्ड एरिया 3942.75 वर्गमीटर, ग्राउण्ड कवरेज एरिया 22.55 प्रतिशत है को भवन निर्माण हेतु अस्थायी अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने विषयक।

**सन्दर्भ:-**

**आपका पत्रांक: 1674/मु0वि0प्रा0/2011 दिनांक 21.09.2011**

**महोदय,**

कृपया उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र/अग्निशमन अधिकारी मुजफ्फरनगर की निरीक्षण आख्या दिनांक 29.09.2011 का अवलोकन किया गया तो आख्यानुसार प्रस्तावित स्थल अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षित है किसी आपात स्थिति में स्थल अग्निशमन के वाहन आसानी से आ जा सकते है भवन के अन्दर सभी स्थायी इन्स्टालेशन व बाहरी सुरक्षा व्यवस्था अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005, भवन निर्माण उपविधि 2008 व नेशनल बिल्डिंग बोर्ड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-चतुर्थ फायर एण्ड ड्राईफ सेफ्टी की टेबिल 23 के ग्रुप बी0 (11) के एजुकेशनल बिल्डिंग में निहित अग्नि शमक प्राविधानुसार जैसे फायर एक्सटिंग्यूसर, फायर होजरील सिस्टम, स्पिंकलर सिस्टम (मल्टी परपज हाल) टैरेस टैंक क्षमता 15000 मीटर, टैरेस पम्प क्षमता 950 मीटर प्रति मिनट स्थापित कराने होंगे। यदि भवन वातानुकूलित बनाया जाता है तो स्मोक डिटेक्टर की व्यवस्था करानी होगी। साथ ही भवन में फायर एग्जिट एवं पी0ए0 सिस्टम का भी प्राविधान किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए जल व्यवस्था मानक के अनुरूप होगी।

भवन में अग्नि शमन प्रणाली की स्थापना हेतु नेशनल बिल्डिंग कोर्ड ऑफ इण्डिया - 2005 के पार्ट 3 व 4 का पालन सुनिश्चित किया जाये यदि इसमें किसी प्रकार का डेविएशन किया जाता है तो निर्गत पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

उक्त भवन के निर्माण होने के उपरान्त प्रस्तावित उपरोक्त समस्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना नितान्त आवश्यक होगा ताकि मानकों के अनुरूप निरीक्षण/परीक्षण कराकर अग्निशमन व्यवस्थाओं (यन्त्रों) के प्राविधान बाद ही स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

अतः उक्त भवन निर्माण हेतु अंकित प्रतिबन्धों के आधार पर अस्थायी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

संलग्न: अनुमोदित मानचित्र

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मुख्य सहायक (अग्निशमन)  
राहारनपुर

प्रतिलिपि:

DR. B. S. BARDHAN SO. 10/10/2011

*(Signature)*  
DR. B. S. BARDHAN SO. 10/10/2011